FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बमुकाम मेड़ता

मुकदमा मोहम्मद युनुस बनाम तहसीलदार मेड़ता

दफा राजस्व अपील नम्बर 295 सन 2017

क्रम	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स	हुक्म नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
1)	वकीलश्री ने अपील धारा 111, 128 LR Act के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर हो। अपील दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार मेड़ता को अपील की प्रति भेजकर निर्णयानुसार युनुस पमाकर प्रकरण रिकार्ड का तलब करवाकर रिपोर्ट पेश करने हेतु मिसल मय मिसल दिनांक 8-8-2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.) 26.9.17 दि. 8.8.2017 को वकील पार्टी उपस्थित अवकाश पर, होमेनी पत्रावली अग्रिम मिसल वकील श्री बालमुकुन्द नाम मुकर्रर 6.10.2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	
2)	वकीलश्री बालमुकुन्द। वकील श्री ने आज लीयाकत के जरिये 380, 389, 399, 400, 410, 419, 420, 428, 433 कुल रकबे 9 (क) 4.69 है की पत्रावली का निवेदन किया। वकील श्री बालमुकुन्द पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मेड़ता को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण से निर्णयानुसार निर्धारित शुल्क लेकर सर्वेयर पंजीयक एवं पटवारी को इकट्ठा कर निर्णयानुसार अमल करे तथा यदि आवश्यक हो तो निर्णयानुसार पुनर्विचार करे। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। अग्रिम दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता (राज.)	

Scanned by CamScanner